



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270930
CG-DL-E-13032026-270930

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 178]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सा.का.नि. 184(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम एवं आरंभ – (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ख) प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार जनता को दिया जाने वाला न्यूनतम प्रस्ताव एवं आवंटन निम्न होगा:

- कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, यदि प्रस्तावित मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी एक हजार छह सौ करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है;

- (ii) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जिसका मूल्य चार सौ करोड़ रुपये के समान हो, यदि प्रस्तावित मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी एक हजार छह सौ करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन चार हजार करोड़ रुपये से कम या उसके समान है;
- (iii) कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम दस प्रतिशत, यदि कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी, प्रस्ताव मूल्य पर गणना करने पर, चार हजार करोड़ रुपये से अधिक लेकिन पचास हजार करोड़ रुपये से कम या उसके समान है:
- बशर्ते कि उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी प्रतिभूतियों की सूचीकरण तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अंदर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी;
- (iv) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जो एक हजार करोड़ रुपये के मूल्य के समान हो और कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम आठ प्रतिशत, यदि कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी, प्रस्ताव मूल्य पर परिकलित करने पर, पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक लेकिन एक लाख करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है:
- बशर्ते कि इस उपखंड में विनिर्दिष्ट कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्ध की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है;
- (v) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जो छह हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर हो, और कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम दो और तीन-चौथाई प्रतिशत, यदि पेशकश मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच लाख करोड़ रुपये से कम या उसके समान है;
- (vi) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जो पंद्रह हजार करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर हो और कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम एक प्रतिशत हो, यदि प्रस्तावित मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक है:
- बशर्ते कि यदि उप-खंड (v) और (vi) में विनिर्दिष्ट कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता सूचीबद्ध होने के समय पंद्रह प्रतिशत से कम है, तो कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पंद्रह प्रतिशत और दस वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाना होगा, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है:
- इसके अतिरिक्त, यदि उप-खंड (v) और (vi) में विनिर्दिष्ट कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता सूचीबद्ध होने के समय पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक है, तो कंपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है;
- (vii) उप-खंड (vi) में किसी मामले के होते हुए भी, कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम ढाई प्रतिशत जनता को पेश किया जाएगा:
- बशर्ते कि उपर्युक्त निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने की समयसीमा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 के प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पहले सूचीबद्ध सभी कंपनियों को भी उपलब्ध होगी:

बशर्ते कि इस खंड में विनिर्दिष्ट आवेदक कंपनी, जिसने अपने प्रवर्तकों या संस्थापकों को अधिक मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं और इस नियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमों के तहत जनता को पेशकश करने के लिए अपने साधारण शेयरों की सूचीकरण की मांग कर रही है, उसे अनिवार्य रूप से अपने अधिक मतदान अधिकार वाले इक्विटी शेयरों को जनता को पेश किए जा रहे साधारण शेयरों के साथ उसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना होगा;

(viii) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 के प्रारंभ होने की तिथि से पहले सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए किसी कंपनी पर जुर्माना या दंड भी लगा सकता है।

[स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उप-खंड (i) के प्रावधान किसी आवेदक कंपनी पर लागू होंगे, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध कराना चाहती है, इस संशोधन के अध्यक्षीन कि उस उप-खंड में "पञ्जीस प्रतिशत" का संदर्भ "दस प्रतिशत" के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, ऐसी कंपनी की निर्गमन के बाद की पूंजी के बावजूद, और उप-खंड (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (vii) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।]

[फा. सं. ई:01/11/2018-पीएम- भाग(1)]

आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

नोट: मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में क्रमांक एस.आर.ओ. 576, दिनांक 21 फरवरी, 1957 के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में निम्नलिखित क्रमांकों के तहत संशोधित किए गए थे:

- (1) जी.एस.आर. 1096, दिनांक 14 जुलाई, 1967;
- (2) जी.एस.आर. 685, दिनांक 3 जून, 1972;
- (3) जी.एस.आर. 959, दिनांक 8 अगस्त, 1972;
- (4) जी.एस.आर. 2641, दिनांक 1 नवंबर, 1975;
- (5) जी.एस.आर. 1083, दिनांक 11 नवंबर, 1985;
- (6) जी.एस.आर. 33(ई), दिनांक 17 जनवरी, 1986;
- (7) जी.एस.आर. 826, दिनांक 3 जून, 1986;
- (8) जी.एस.आर. 610(ई), दिनांक 30 जून, 1987;
- (9) जी.एस.आर. 666(ई), दिनांक 20 जुलाई, 1987;
- (10) जी.एस.आर. 102(ई), दिनांक 26 फरवरी, 1988;
- (11) जी.एस.आर. 1070(ई), दिनांक 15 नवंबर, 1988;
- (12) जी.एस.आर. 576(ई), दिनांक 2 जून, 1992;
- (13) जी.एस.आर. 870(ई), दिनांक 13 नवंबर, 1992;
- (14) जी.एस.आर. 458(ई), दिनांक 17 जून, 1993;
- (15) जी.एस.आर. 617(ई), दिनांक 20 सितंबर, 1993;
- (16) जी.एस.आर. 380(ई), दिनांक 12 अप्रैल, 1994;
- (17) जी.एस.आर. 563(ई), दिनांक 7 जुलाई, 1994;
- (18) जी.एस.आर. 588(ई), दिनांक 15 जुलाई, 1994;

- (19) जी.एस.आर. 608(ई), दिनांक 5 अगस्त, 1994;
- (20) जी.एस.आर. 749(ई), दिनांक 12 अक्टूबर, 1994;
- (21) जी.एस.आर. 780(ई), दिनांक 26 अक्टूबर, 1994;
- (22) जी.एस.आर. 790(ई), दिनांक 7 नवंबर, 1994;
- (23) जी.एस.आर. 121(ई), दिनांक 9 मार्च, 1995;
- (24) जी.एस.आर. 291(ई), दिनांक 27 मार्च, 1995;
- (25) जी.एस.आर. 581(ई), दिनांक 23 दिसंबर, 1996;
- (26) जी.एस.आर. 654(ई), दिनांक 8 अगस्त, 2000;
- (27) जी.एस.आर. 415(ई), दिनांक 7 जून, 2001;
- (28) जी.एस.आर. 696(ई), दिनांक 28 अगस्त, 2003;
- (29) जी.एस.आर. 395(ई), दिनांक 10 जून, 2009;
- (30) जी.एस.आर. 469(ई), दिनांक 4 जून, 2010;
- (31) जी.एस.आर. 662(ई), दिनांक 9 अगस्त, 2010;
- (32) जी.एस.आर. 705(ई), दिनांक 24 अक्टूबर, 2013;
- (33) जी.एस.आर. 21(ई), दिनांक 16 जनवरी, 2014;
- (34) जी.एस.आर. 611(ई), दिनांक 22 अगस्त, 2014;
- (35) जी.एस.आर. 682(ई), दिनांक 22 सितंबर, 2014;
- (36) जी.एस.आर. 819(ई), दिनांक 19 नवंबर, 2014;
- (37) जी.एस.आर. 125(ई), दिनांक 26 फरवरी, 2015;
- (38) जी.एस.आर. 268(ई), दिनांक 20 मार्च, 2017;
- (39) जी.एस.आर. 664(ई), दिनांक 28 जून, 2017;
- (40) जी.एस.आर. 822(ई), दिनांक 3 जुलाई, 2017;
- (41) जी.एस.आर. 675(ई), दिनांक 25 जुलाई, 2018;
- (42) जी.एस.आर. 738(ई), दिनांक 3 अगस्त, 2018;
- (43) जी.एस.आर. 189(ई), दिनांक 19 मार्च, 2020;
- (44) जी.एस.आर. 485(ई), दिनांक 31 जुलाई, 2020;
- (45) जी.एस.आर. 423(ई), दिनांक 19 जून, 2021;
- (46) जी.एस.आर. 520(ई), दिनांक 30 जुलाई, 2021;
- (47) जी.एस.आर. 03(ई), दिनांक 2 जनवरी, 2023;
- (48) जी.एस.आर. 518(ई), दिनांक 28 अगस्त, 2024 और
- (49) जी.एस.आर. 318(ई), दिनांक 19 मई, 2025।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2026

G.S.R. 184(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, namely:—

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2026.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, in rule 19, in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

“(b) The minimum offer and allotment to the public in terms of an offer document shall be—

- (i) at least twenty-five per cent of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at the offer price is less than or equal to one thousand six hundred crore rupees;
- (ii) at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company equivalent to the value of four hundred crore rupees, if the post issue capital of the company calculated at the offer price is more than one thousand six hundred crore rupees but less than or equal to four thousand crore rupees;
- (iii) at least ten per cent of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at the offer price is above four thousand crore rupees but less than or equal to fifty thousand crore rupees:

Provided that the company referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii), shall increase its public shareholding to at least twenty-five per cent within a period of three years from the date of listing of the securities, in the manner specified by the Securities and Exchange Board of India;

- (iv) at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company that is equivalent to the value of one thousand crore rupees and at least eight per cent of each such class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at the offer price is above fifty thousand crore rupees but less than or equal to one lakh crore rupees:

Provided that the company referred to in this sub-clause shall increase its public shareholding to at least twenty-five per cent within a period of five years, from the date of listing of its securities, in the manner as may be specified by the Securities and Exchange Board of India;

- (v) at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, that is equivalent to the value of six thousand two hundred and fifty crore rupees and at least two and three-quarters per cent of each such class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at the offer price is above one lakh crore rupees but less than or equal to five lakh crore rupees;
- (vi) at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, that is equivalent to the value of fifteen thousand crore rupees and at least one per cent of each such class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company, if the post issue capital of the company calculated at the offer price is above five lakh crore rupees:

Provided that where the public shareholding of the company referred to in sub-clauses (v) and (vi) at the time of listing is less than fifteen per cent, the company shall increase its public shareholding to at least fifteen per cent within a period of five years and to at least twenty-five per cent within a period of ten years, from the date of listing of its securities, in the manner as may be specified by the Securities and Exchange Board of India:

Provided further that where the public shareholding of the company referred to in sub-clauses (v) and (vi) at the time of listing is fifteen per cent or above, the company shall increase its public shareholding to at least twenty-five per cent within a period of five years from the date of listing of the securities, in the manner as may be specified by the Securities and Exchange Board of India;

- (vii) notwithstanding anything contained in sub-clause (vi), at least two and one-half per cent of each such class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company shall be offered to the public:

Provided that the timelines to achieve the public shareholding as prescribed above shall also be available to all companies listed on or before the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2026:

Provided further that the applicant company referred to in this clause, who has issued equity shares having superior voting rights to its promoters or founders and is seeking listing of its ordinary shares for offering to the public under this rule and the regulations made by the Securities and Exchange Board of India in this regard, shall mandatorily list its equity shares having superior voting rights at the same recognised stock exchange along with the ordinary shares being offered to the public;

- (viii) notwithstanding anything contained in this clause, the recognised stock exchange may also impose fine or penalty against any company for the non-compliance with the public shareholding norms committed before the date of commencement of the Securities Contracts (Regulation) Amendment Rules, 2026.

[Explanation.- For the purposes of this clause, the provisions of sub-clause (i) shall apply to, or in relation to, an applicant company desirous of getting its securities listed on a recognised stock exchange in an International Financial Service Centre, subject to the modification that the reference to "twenty-five per cent" in that sub-clause shall be construed as reference to "ten per cent", irrespective of the post issue capital of such company and the provisions of sub-clauses (ii), (iii), (iv), (v), (vi) and (vii) shall not apply.]".

[F. No. E:01/11/2018-PM- Part(1)]

ALOK TIWARI, Jt. Secy. (Financial Markets)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.R.O. 576, dated the 21st February, 1957 and subsequently amended *vide* numbers as under:

- (1) G.S.R. 1096, dated the 14th July, 1967;
- (2) G.S.R. 685, dated the 3rd June, 1972;
- (3) G.S.R. 959, dated the 8th August, 1972;
- (4) G.S.R. 2641, dated the 1st November, 1975;
- (5) G.S.R. 1083, dated the 11th November, 1985;
- (6) G.S.R. 33(E), dated the 17th January, 1986;
- (7) G.S.R. 826, dated the 3rd June, 1986;
- (8) G.S.R. 610(E), dated the 30th June, 1987;
- (9) G.S.R. 666(E), dated the 20th July, 1987;
- (10) G.S.R. 102(E), dated the 26th February, 1988;
- (11) G.S.R. 1070(E), dated the 15th November, 1988;
- (12) G.S.R. 576(E), dated the 2nd June, 1992;
- (13) G.S.R. 870(E), dated the 13th November, 1992;
- (14) G.S.R. 458(E), dated the 17th June, 1993;
- (15) G.S.R. 617(E), dated the 20th September, 1993;
- (16) G.S.R. 380(E), dated the 12th April, 1994;
- (17) G.S.R. 563(E), dated the 7th July, 1994;
- (18) G.S.R. 588(E), dated the 15th July, 1994;

- (19) G.S.R. 608(E), dated the 5th August, 1994;
- (20) G.S.R. 749(E), dated the 12th October, 1994;
- (21) G.S.R. 780(E), dated the 26th October, 1994;
- (22) G.S.R. 790(E), dated the 7th November, 1994;
- (23) G.S.R. 121(E), dated the 9th March, 1995;
- (24) G.S.R. 291(E), dated the 27th March, 1995;
- (25) G.S.R. 581(E), dated the 23rd December, 1996;
- (26) G.S.R. 654(E), dated the 8th August, 2000;
- (27) G.S.R. 415(E), dated the 7th June, 2001;
- (28) G.S.R. 696(E), dated the 28th August, 2003;
- (29) G.S.R. 395(E), dated the 10th June, 2009;
- (30) G.S.R. 469(E), dated the 4th June, 2010;
- (31) G.S.R. 662(E), dated the 9th August, 2010;
- (32) G.S.R. 705(E), dated the 24th October, 2013;
- (33) G.S.R. 21(E), dated the 16th January, 2014;
- (34) G.S.R. 611(E), dated the 22nd August, 2014;
- (35) G.S.R. 682(E), dated the 22nd September, 2014;
- (36) G.S.R. 819(E), dated the 19th November, 2014;
- (37) G.S.R. 125(E), dated the 26th February, 2015;
- (38) G.S.R. 268(E), dated the 20th March, 2017;
- (39) G.S.R. 664(E), dated the 28th June, 2017;
- (40) G.S.R. 822(E), dated the 3rd July, 2017;
- (41) G.S.R. 675(E), dated the 25th July, 2018;
- (42) G.S.R. 738(E), dated the 3rd August, 2018;
- (43) G.S.R. 189(E), dated the 19th March, 2020;
- (44) G.S.R. 485(E), dated the 31st July, 2020;
- (45) G.S.R. 423(E), dated the 19th June, 2021;
- (46) G.S.R. 520(E), dated the 30th July, 2021;
- (47) G.S.R. 03(E), dated the 2nd January, 2023;
- (48) G.S.R. 518(E), dated the 28th August, 2024 and
- (49) G.S.R. 318(E), dated the 19th May, 2025.